

ITBP

नोटिस

53वीं वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय, पोस्ट-पालेमए
मण्डल-कालिकिरी, जिला-अन्नामया (आंध्र प्रदेश)

दल संख्या 107041673 सि0/जीडी0 पी0 राजू S/O Sh. P.Krishna Nayak Vill-Appaipally
Thanda, P.O-Gundumal Teh-Kosgi, P.S-Kosgi Distt-Mahaboob Nager, State- Telangana
Pin Code-509339 53वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पुलिस बल, आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जात है
कि आपको दिनांक 25.08.2023 से 23.10.2023 तक (दिनांक 24.10.2023 जी0एच0सहित) 60 दिन अर्जित अवकाश
स्वीकृत कर भेजा गया था। आप दिनांक 24.10.2023 (अप्रा0) से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति, सूचना के एवं
अपनी इच्छा से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं और आपकी अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाने हेतु इस कार्यालय
के आदेश संख्या 07 दिनांक 01.01.2024 के तहत न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया था और न्यायिक जांच
की संस्तुति के अनुसार आपको 53वीं वाहिनी के आदेश संख्या 1033-1133 दिनांक 14.02.2024 के अन्तर्गत दिनांक
24.10.2023 (अप्रा0) से बल से "भगौड़ा" घोषित किया गया है। आपको अंतिम अवसर देते हुये पुनः निर्देशित किया
जाता है कि आप इस नोटिस के प्रकाशित होने के उपरांत 15 दिनों के अंतराल में, बिना कोई पत्राचार किये 53वीं
वाहिनी मुख्यालय, भा0ति0सी0पु0बल, कालिकिरी, अन्नामया आंध्र प्रदेश/आवागमन शिविर रायपुर (छत्तीसगढ़), अथवा
वाहिनी सामरिक मुख्यालय, 53वीं वाहिनी भारत तिब्बत, जेलवाड़ी कैम्प, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में अपनी आमद दें
अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप बल में अग्रिम सेवा के इच्छुक नहीं हैं और आपके विरुद्ध भारत तिब्बत सीमा
पुलिस बल अधिनियम 1992 तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नियमावली 1994 के अंतर्गत आपको बिना कोई
अग्रिम सूचना दिये अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाएगी।

सैनिकी

53वीं वाहिनी भा0ति0सी0पु0बल

19/04/2024

CBC 19112/11/0046/2425